न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–5, जयपुर महानगर द्वितीय

पीठासीन अधिकारी : केदार नाथ, (आर.जे.एस.)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

(1)जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 116/2026
सीआईएस नंबर : 1546/2026

उपेन्द्र मौर्या पुत्र वासूदेव मौर्या, उम्र 30 वर्ष, निवासी गांव नुरूल्लापुर, पुलिस थाना मधुवन, जिला मउ, उत्तरप्रदेश, हाल प्लाट नम्बर 10, बजरंग वाटिका 4, पानी की टंकी के पास, हाथेडा डूंगरा, पुलिस थाना विश्वकर्मा, जयपुर, हाल मालिक एस.के. फेब्रीकेशन, प्लाट नम्बर 101–102, श्याम विहार द्वितीय, अजमेर दिल्ली बाईपास, पंखुडी होटल के पास, पुलिस थाना दौलतपुरा, जयपुर

.––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक

––अप्रार्थी

(2)जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 117/2026
सीआईएस नंबर : 1547/2026

01– विकास कुमार पुत्र अशोक परमार उम्र 25 वर्ष, निवासी 210, बीरई, पोस्ट बीरई, सेवा, आगरा, (यू.पी.)
02– संदीप कुमार पुत्र रामपुकार रावत, उम्र 25 वर्ष, निवासी 112 ए, युवराज विहार कॉलोनी, वीकेआई एरिया रोड नम्बर 17, आकेडा डूंगर, थाना विश्वकर्मा, जयपुर, राज0

.––प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, जयपुर महानगर द्वितीय

––अप्रार्थी

(3)जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 118/2026
सीआईएस नंबर : 1548/2026

अंकित मित्तल पुत्र सुनील कुमार मित्तल उम्र 24 वर्ष, निवासी प्लाट नम्बर 78, युवराज विहार कॉलोनी, रोड नम्बर 17, पुलिसथाना विश्वकर्मा, जयपुर

.––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक

––अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 131/2026 पुलिस थाना विश्वकर्मा, जयपुर (पश्चिम), अपराध अन्तर्गत धारा 306, 317(5), 317(2) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थित :–
1. श्री गोवर्धन सिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी उपेन्द्र मौर्या
2. श्री धीरेन्द्र त्रिवेदी, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण विकास कुमार व संदीप कुमार
3. डॉ0 श्री योगेश गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी अंकित मित्तल
4. श्री कमल किशोर मीणा, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य

: **<u>आदेश</u> :** **दिनांक : 20.06.2026**

01– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **उपेन्द्र मौर्या, विकास कुमार व संदीप कुमार एवं अंकित मित्तल** की ओर से पृथक–पृथक 03 जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जरिये अधिवक्ता श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर–द्वितीय के यहां प्रस्तुत किये गये, जहां से सुनवाई एवं विधिनुसार निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित होकर प्राप्त हुए। नकल अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई, केस डायरी तलब की गई।

02– उक्त तीनों जमानत प्रार्थना पत्र एक ही प्रकरण/प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण इस आदेश द्वारा एक साथ किया जा रहा है।

03– जमानत प्रार्थना पत्रों पर विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थीगण/अभियुक्तगण व विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना गया एवं केस डायरी का गहनता से अवलोकन किया गया।

04– प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 29.04.2026 को परिवादी विजय कुमार अग्रवाल ने उपस्थित थाना विश्वकर्मा होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी कम्पनी बुधिया स्टील वर्क्स प्रा0लि0, पता प्लाट नम्बर एफ–737, रोड नम्बर 9एफ–2, वीकेआई में स्थित है, जिसमें वह ही डायरेक्टर है। उक्त कम्पनी में अंकित मित्तल जो कि स्टॉक इंचार्ज है व विकास कुमार जो कि प्रोडक्शन सुपरवाईजर है कार्य करते हैं। इन दोनों ने अपने मित्र संदीप रावत के साथ मिलकर उनकी कम्पनी से अवैध रूप से लोहे

की कोईलों की चोरी करके बेची है। इन तीनों ने जनवरी, 2026 से लगभग पचास लाख की चोरी की है, इत्यादि।

05— उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना विश्वकर्मा, जयपुर (पश्चिम) में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 131/2026, अन्तर्गत धारा 306, 317(5), 317(2) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कर अन्वेषण प्रारंभ किया गया। अन्वेषण के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त उपेन्द्र मौर्या को दिनांक 14.06.2026 एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विकास कुमार, संदीप कुमार एवं अंकित मित्तल को दिनांक 11.06.2026 को गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 16.06.2026 को अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा जमानत के ये आवेदन पेश किये गये।

06— जमानत प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी गई एवं केस डायरी का गहनता से अवलोकन किया गया।

07— विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने जमानत प्रार्थना पत्रों में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराते हुए तर्क दिये हैं कि प्रार्थीगण को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण का अपराध से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थीगण गिरफ्तारी की दिनांक से अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रार्थीगण से किसी प्रकार की बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थीगण उपेन्द्र मौर्या, अंकित मित्तल एवं संदीप कुमार के विरूद्ध अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है एवं प्रार्थी विकास कुमार के विरूद्ध दर्ज अन्य आपराधिक प्रकरण में प्रार्थी दोषमुक्त हो चुका है। प्रार्थीगण पर आरोपित अपराध आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है। प्रार्थीगण से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रकरण के शेष अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थीगण न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके प्रस्तुत करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

08— इसके विपरीत योग्य अपर लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थीगण पर गंभीर अपराधों का अभियोग है, इसलिए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

09— उभय पक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में केस डायरी का अवलोकन

किया गया। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रार्थीगण उपेन्द्र मौर्या, अंकित मित्तल एवं संदीप कुमार के विरूद्ध अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना दर्शित नहीं किया गया है एवं प्रार्थी विकास कुमार के विरूद्ध एक अन्य आपराधिक प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 463/2022 पुलिस थाना सैया, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, अपराध अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज होना दर्शित किया गया है।

10— उभय पक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रार्थीगण अंकित मित्तल एवं विकास कुमार के विरूद्ध परिवादी विजय कुमार अग्रवाल की कम्पनी बुधिया स्टील वर्क्स प्रा0लि0 में कर्मचारी रहते हुए उसकी कम्पनी में से लगभग 50 लाख रूपये की लोहे की कोईलें चुराकर ले जाने के आरोप में प्रकरण भारतीय न्याय संहिता की धारा 306 एवं 61 (2), प्रार्थी उपेन्द्र मौर्या के विरूद्ध उक्त अभियुक्तगण द्वारा चुराई हुई सम्पत्ति को चुराई हुई सम्पत्ति जानते हुये क्रय करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 (2) एवं प्रार्थी संदीप कुमार रावत के विरूद्ध उक्त चुराई हुई सम्पत्ति को छिपाने में सहायता करने के आरोप में प्रकरण भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 (5) एवं 61 (2) में अन्वेषणाधीन है। अब तक हुये अन्वेषण से प्रार्थीगण अंकित मित्तल एवं विकास कुमार के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 306 एवं 61 (2), प्रार्थी उपेन्द्र मौर्या के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 (2) एवं प्रार्थी संदीप कुमार रावत के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 (5) एवं 61 (2) के आरोप प्रमाणित पाये गये हैं। प्रार्थीगण से किसी प्रकार का कोई अन्वेषण या बरामदगी शेष होना नहीं बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त उपेन्द्र मौर्या दिनांक 14.06.2026 से एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विकास कुमार, संदीप कुमार एवं अंकित मित्तल दिनांक 11.06.2026 से अभिरक्षा में हैं। प्रकरण के शेष अन्वेषण एवं विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थीगण को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

आ दे श

11— निष्कर्षतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **उपेन्द्र मौर्या, विकास कुमार व**

संदीप कुमार एवं अंकित मित्तल की ओर से प्रस्तुत तीनों जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से एक लाख रुपये का निजी बन्ध पत्र/मुचलका तथा पचास–पचास हजार रुपये की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के सन्तोषप्रद इन शर्तों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करा ली जावे कि–

1. प्रत्येक प्रार्थी स्वयं द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार विचारण न्यायालय के समक्ष तथा अन्वेषण अधिकारी के समक्ष हाजिर होगा।
2. उस अपराध जैसा, जिसको करने का अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा।
3. मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।
4. न्यायालय की अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जावेगा।
5. पता परिवर्तन होने पर उसकी सूचना अन्वेषण अधिकारी को देगा।

तो उन्हें इस प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 131/2026 पुलिस थाना विश्वकर्मा, जयपुर (पश्चिम) के मामले में जमानत पर आजाद कर दिया जावे।

(केदार नाथ)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–5,
जयपुर महानगर द्वितीय

12– आदेश आज दिनांक 20.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(केदार नाथ)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–5,
जयपुर महानगर द्वितीय